सन्युक्त राज्य अमेरिका को जैविक उत्पादों के निर्यात पर परिपत्र

संयुक्त राज्य अमेरिका में जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और निर्यात पर दिनांक 15 जनवरी 2021 के परिपत्र के क्रम में , सभी संबंधित हितधारक इस बात पर ध्यान दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमाणीकरण और निर्यात की निरंतरता के लिए ऑपरेटरों को यूएसडी-मान्यता-प्राप्त प्रमाणन निकाय में स्थानांतरित करने की ट्रांसिशन अवधि दिनांक 11 जुलाई 2022 को समाप्त हो रही है। तदनुसार , भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका में जैविक उत्पादों के निर्यात के लिए , दिनांक 12 जुलाई 2022 से यूएसडीए प्रत्यायन प्रमाणनकर्ता द्वारा जारी यूएसडीए राष्ट्रीय जैविक कार्यक्रम (एनओपी) प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी।

तदनुसार, प्रत्यायन, प्रमाणन, निर्यात जैसी गतिविधियाँ उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। इसलिए , प्रमाणन निकाय एनओपी के अनुसार स्कोप सर्टिफिकेट या अंतिम निर्यात लेनदेन प्रमाणपत्र जारी करने से संबंधित किसी भी लंबित गतिविधियों को पूरा करने के लिए समय सीमा का पालन सुनिश्चित करें।

किसी भी व्यापार व्यवधान से बचने के लिए ऑपरेटर दी गई समय सीमा का अनुपालन भी करें।

हितधारक कृपया ध्यान दें कि यूएसडीए की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ट्रेसनेट पर किए जा रहे आवश्यक संशोधन दिनांक 11 जुलाई 2022 से लाइव किए जाएंगे। हालाँकि, भारत-अमेरिका मान्यता-प्राप्त समझौते के संदर्भ के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात के लिए ट्रेसनेट पर उपलब्ध लेनदेन प्रमाणपत्र का प्रारूप संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात के लिए उपयोग किया जाए।

कृपया ध्यान दें कि डीजीएफटी अधिसूचना के अनुसार , भारत से किसी भी गंतव्य पर निर्यात किए जाने वाले उत्पादों को एक प्रत्यायन प्रमाणन निकाय द्वारा राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अनुसार प्रमाणित किया जाना चाहिए और एनपीओपी मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकाय द्वारा ट्रेसनेट पर जारी लेनदेन प्रमाणपत्र के साथ होना चाहिए।

(यू.के वत्स)
महाप्रबंधक